Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **राजस्व मंडल, अजमेर रिश्वत प्रकरण में आरोपी तत्कालीन अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता राजस्व मण्डल, अजमेर को भी अजमेर से किया गिरफ्तार**

जयपुर, *11 नवम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की इन्टेलिजेन्स, जयपुर इकाई द्वारा आज अजमेर में कार्यवाही करते हुये **प्रकरण संख्या 120/2021 विरूद्व श्री सुनील शर्मा, सदस्य राजस्व मण्डल अजमेर व अन्य** में आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्यवाही करते हुए एक और आरोपी तत्कालीन अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता राजस्व मण्डल अजमेर को गिरफतार किया है।

ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि आज **श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इन्टे0** के नेतृत्व में विशेष अनुसंधान टीम ने **तत्कालीन अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता राजस्व मण्डल अजमेर श्रीमती पूनम माथुर** को बाद पूछताछ अजमेर से गिरफतार किया है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.04.2021 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्यवाही करते हुए श्री सुनील शर्मा व श्री भंवरलाल मेहरडा, तत्कालीन सदस्यगण, राजस्व मण्डल अजमेर तथा बिचौलिये वकील श्री शशिकान्त जोशी को गिरफतार किया जाकर उनके विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जाकर शेष अभियुक्तगणों के विरूद्व अनुसंधान लम्बित रखा था। अब तक प्रकरण में यह 6 आरोपी गिरफतार हो चुके हैं। श्रीमती पूनम माथुर पर राजकीय अधिवक्ता के रूप में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के नाम पर आरोपीगणों व सदस्यों से मिलीभगत कर प्रकरण में रिश्वत लेकर राज्य सरकार के विरूद्व फैसले करवाने का आरोप है। आरोपिया को जयपुर सक्षम न्यायालय में पेश किया जावेगा।